स्पेशल एस.सी./एस.टी. 7/2022
एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या–25/2021

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.
सहरसा
स्पेशल एस.सी./एस.टी. 7/2022
एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या–25/2021

1. राज्य (द्वारा) मंजय कुमार पिता स्व0 ललन पासवान
साकिन–ढ़ोली, थाना–बनगॉव, जिला–सहरसा।

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. मनोज कुमार सिंह उम्र 66 वर्ष, पिता स्व0 राम पुकार सिंह
साकिनान रहुआ, थाना बनगॉव, जिला सहरसा।

.....अभियुक्तगण

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

1.	घटना की तिथि	12.08.2021	
2.	प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	18.08.2021	अंदर धारा 341, 323, 379, 447, 384, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(द), 3(i)(ध), 3(i)(g) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
3.	आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	23/2021, 30.08.2021	अंदर धारा 341, 323, 379, 447, 384, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(g) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
4.	संज्ञान लेने की तिथि	31.01.2022	अंदर धारा 341, 323, 504भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s)(g), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
5.	आरोप गठन की तिथि	04.03.2022	अंदर धारा 341, 323, 504भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s)(g), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	17.10.2022	
7.	अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	05.06.2026	
8.	धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	12.06.2026	
9.	सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
10.	सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
11.	बहस प्रारंभ होने की तिथि	12.06.2026	
12.	बहस बंद करने की तिथि	12.06.2026	
13.	निर्णय की तिथि	12.06.2026	

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री रणबीर झा (फूल बाबू), विद्वान अधिवक्ता

सहरसा, दिनांक–12.06.2026

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्त 1. मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध धारा– 341, 323, 504भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s)(g), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि '' मैं मंजय कुमार, पं0 स्व0 ललन पासवान, ग्राम ढ़ोली, पोस्ट बसौना, थाना बनगॉव, जिला सहरसा का स्थायी निवासी हूँ। मौजा नरियार, वार्ड नं0 2, हवाई अड्डा से पश्चिम छोड़ के उत्तर ईंट सोलिंग के दक्षिण नगर परिषद, थाना वो जिला सहरसा अन्तर्गत खाता पुराना 369, खेसरा पुराना 4592 एवं 4596 रकवा 3 कट्ठा जमीन चौहद्दी के साथ निबंधित केवाला से मेरी माता श्रीमती निर्मला देवी, पति स्व0 ललन पासवान के नाम से खरीद होकर अंचल सिरिस्ते में जमाबंदी कायम करवा कर हकदार वो दखलकार चले आ रहे हैं एवं पूरब, पश्चिम, दक्षिण में दिवाल दिया हुआ है। दिनांक 12.08.2021 को सुबह करीब 10:00 बजे में उपरोक्त खाता–खेसरा की जमीन पर बाउण्ड्री देखने गया तो मनोज कुमार सिह, पेसर स्व0 रामपुकार सिंह, ग्राम रहुआमणि, थाना बनगॉव, जिला सहरसा एवे सुनील सिंह पे0 स्व0 उपेन्द्र नारायण सिंह, साकिन गॉधी पथ, वार्ड नं0 08, मस्जिद के पीछे (डेयरी फॉर्म वाला) थाना वो जिला सहरसा एवं चार अज्ञात व्यक्ति के साथ आये। आते ही मनोज कुमार सिंह हथियार दिखाते हुए बोला मादरचोद हरिजन दुसाध, तुमको मेरा डर नहीं लगता है, साले दुसाध तुमको

बोले थे कि जमीन पर कुछ करने से पहले दो लाख रूपये रंगदारी देना होगा लेकिन बिना रंगदारी दिये साला दुसाध दिवाल जोड़ दिया एवं जमीन पर हिटलर की तरह खड़ा है। उसके बाद बोला मारो साले दुसधवा को इतना सुनते ही चार अज्ञात व्यक्ति के साथ सभी लप्पड़–थप्पड़ एवं हेड मुक्का से मार–पीट करने करने लगे। सुनील सिंह गाली गलौज करते हुए गला से सोने का चेन जिसका मुल्य लगभग चालीस हजार रूपये का था वो छीन लिया एवं शर्ट के जेब से 260 रूपया सुनील सिंह जबरदस्ती खींच लिया एवं जान से मारने की धमकी दिया। उसके बाद मनोज कुमार सिंह बोला कि साला दुसधवा आज इतने पर ही छोड़ रहे है। यदि इम लोगों के विरूद्ध थाना पुलिस में केश मुकदमा किया तो तुम्हें एवं तुम्हारे सारे परिवार को जान से मार वो मार दूँगा'' उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया।

3. उपरोक्त आशय का सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या– 25/2021 अंतर्गत धारा–341, 323, 379, 447, 384, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(द), 3(i)(ध), 3(i)(g) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त 1. मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–23/2021 दिनांक–30.08.2021 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्त 1. मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध दिनांक–31.01.2022 धारा– 341, 323, 504भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s)(g), 3(2)(va) अनु.जाति जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए वाद दौरा सुपूर्दगी किया गया।

5. दिनांक–04.03.2022 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–341, 323, 504 भा.द.वि. एवं धारा–3(1)(r)(s)(g), 3(2)(va) अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–12.06.2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

मन्तव्य

तथा–कथित आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कुल मिलाकर चार अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया, वे हैं अभियोजन साक्षी संख्या–1 मंजय कुमार (सूचक), अभियोजन साक्षी संख्या–2 मनमोहन कुमार सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सौरभ कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–4 मो0 नसीम।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 मंजय कुमार (सूचक) ने न्यायालय में सशपथ कथन किया कि दिनांक 12.08.2021 के दिन के 03:00 बजे अभियुक्त सुनील सिंह वगैरह इनके साथ गाली–गलौज तथा मारपीट किये जिसके संबंध में इन्होंने एस0सी0/एस0टी0 थाना में जाकर लिखित आवेदन दिया जो इनके पहचान एवं हस्ताक्षर में है। जिसे पी0–1/पी0डब्लू0–1 चिन्हित किया जाता है। बचाव पक्ष के द्वारा इनका पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया जिसमें इन्होंने स्पष्ट कथन किया कि घटनास्थल पर काफी लोग थे इसलिये मैं नहीं पहचान पाया कि मेरे साथ कौन मारपीट किये। इन्होंने यह भी कथन किया कि कोई भी अभियुक्त मेरे साथ जाति सूचक शब्द या अपमानजनक शब्द कहकर गाली नहीं दिया। अतः इन्होंने कथन किया मैं सभी मुदालह से राजी–खुशी से समझौता करके राजी–खुशी से समझौता आवेदन पर अपना हस्ताक्षर बना दिया हूँ।

इसी तरह पी0–1/पी0डब्लू0–2 मनमोहन कुमार सिंह, पी0–1/पी0डब्लू0–3 सौरभ कुमार, पी0–1/पी0डब्लू0–4 मो0 नसीम ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कथन किया कि न तो मैं घटना को देखा हूँ न घटना के बारे में जानता हूँ और न ही पुलिस में बयान दिया हूँ।

इस तरह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक विवेचनोपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन इस वाद में अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये किसी भी आरोपों को सभी युक्ति–युक्त तथा तर्कपूर्ण संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है परिणामतः इस वाद के उपरोक्त सभी अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों से मुक्त करते हुए उन्हें एवं

उनके जमानतदारों को बंध पत्रों के दायित्वों से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
12.06.2026

लेखापित

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
12.06.2026

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 7/2022
एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या–25/2021

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)
p.w.-1	मंजय कुमार	सूचक
p.w.-2	मनमोहन कुमार सिंह	अन्य साक्षी
p.w.-3	सौरभ कुमार	अन्य साक्षी
p.w.-3	मो0 नसीम	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P-1/PW-1	साक्षी मंजय कुमार (सूचक) ने थाना में दिये गये आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिसे प्रदर्श किया गया।

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश, सहरसा
12.06.2026